

डिक्री बमूकदमें इब्बदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर


मीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 68/2022

वादी

1. मंगाराम घोटिया पुत्र प्रभुराम घोटिया जाति जाट निवासी तंवरा तहसील जायल, जिला नागौर,

बनाम



प्रतिवादीगण

1. प्रभुराम पुत्र चन्द्राराम
2. रामनिवास पुत्र प्रभुराम
3. गेनाराम पुत्र प्रभुराम
4. कानीदेवी पुत्री प्रभुराम
5. धन्नी देवी पुत्री प्रभुराम जातियान जाट निवासी तंवरा तहसील जायल जिला नागौर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

- 1- वादी 1 की ओर से श्री गोविन्द राम ढाका, एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

दि. 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोवन्दराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 मंगा राम घोटिया के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा तंवरा में खेत खसरा नम्बर 1093/413 रकबा 1.7211 हैक्टेयर पूरा खेत एवं मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 1082/449 रकबा 2.9764 हैक्टेयर में से रकबा 1.5297 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार कब्जा काश्त बंट में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा तंवरा में खेत खसरा नम्बर 676/390 रकबा 0.2347 हैक्टेयर पूरा खेत एवं मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
(वि.सी.) जायल

माराम घोटिया बनाम प्रभुराम वौराह
दावा क्रमांक 68/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/99

- 1080/449 रकबा 0.0768 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 1092/413 रकबा 0.0352 हैक्टेयर यथावत रखे जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 606/2 रकबा 3.2375 हैक्टेयर पूरा खेत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 गेनाराम के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा तंवरा में खेत खसरा नम्बर 1081/449 रकबा 1.8030 हैक्टेयर पूरा खेत व खेत खसरा नम्बर 1082/449 रकबा 2.9764 हैक्टेयर में से रकबा 1.4467 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 कानी देवी व धन्नी देवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख, तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/12/2022 को जारी किया गया

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

| वर्ग | रूपये | पैसे | मुदायला | रूपये | पैसे |
|-----------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|
| ग्राम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| ग्राम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| ग्राम्प वजह साबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| हनताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीष्नर | | |
| फीस कमीष्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मीजान | | |
| बाबत् इजराय हुक्मीजान | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल